झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं०. 4035/2023

नोबेल अलधो @ नोबेल सर @ नोल्डे एल्धो, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता - एल्धो, निवासी-इलियम्स टाउन, विधुभूषण सरकार रोड, प्रतीक्षा आवास, डाकघर+थाना - देवघर, जिला - देवघर ..... याचिकाकर्ता

-बनाम-

झारखण्ड राज्य .....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए: श्री प्राण प्रणय, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सुबोध के.आर. दुबे, अपर. पी.पी

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका सी.आर.पी.सी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दिनांकित 07/11/2023 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करता है जो कि विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर द्वारा पारित किया गया और जहां सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है,याचिकाकर्ता के खिलाफ देवघर टाउन पी.एस. केस संख्या 530/2023 के संबंध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 बी और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत किया गया है।

3. इस प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 07.11.2023 को विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर ने बिना यह संतुष्टि दर्ज किए कि याचिकाकर्ता फरार है

या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रहा है, याचिकाकर्ता के उपस्थित होने का समय और स्थान तय किए बिना सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश पारित कर दिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा, देवघर टाउन थाना केस संख्या 530/2023 के संबंध में पारित दिनांक 07.11.2023 के आदेश के माध्यम से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और यह संतुष्टि दर्ज किए बिना जारी की गई है कि याचिकाकर्ता फरार हो रहा है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रहा है, जो सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर द्वारा देवघर टाउन थाना केस संख्या 530/2023 के संबंध में पारित दिनांक 07.11.2023 का आदेश जिसके द्वारा और जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत प्रक्रियाधीन है, जारी किया गया है; कानून के अनुसार नहीं होने के कारण, रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर पीपी ने विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर द्वारा दिनांक 07.11.2023 को देवघर टाउन थाना केस संख्या 530/2023 के संबंध में पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, जिसके तहत और जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की गई है और प्रस्तुत किया है कि यह तथ्य कि विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर ने सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की है, अपने आप में यह दर्शाता है कि विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी, जिससे वे संतुष्ट हो सकें कि ऐसी उद्घोषणा जारी करने और कार्यवाही करने का औचित्य है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज किया जाना चाहिए।

6. बार में दिए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अदालत जो सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करती है, उसे अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि जिस आरोपी के संबंध में सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की जाती है, वह फरार है या अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है और यदि अदालत

सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का फैसला करती है, तो उसे उस आदेश में याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख करना चाहिए जिसके द्वारा सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है। जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है क्योंकि विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर ने याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान तय नहीं किया है। इस प्रकार इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके अवैधानिकता की है। इसलिए, यह कानून में टिकने योग्य नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर द्वारा देवघर टाउन थाना केस संख्या 530/2023 के संबंध में दिनांक 07.11.2023 को पारित आदेश जिसके तहत और जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की गई है, को रद्द किया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।

7. तदनुसार, विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर द्वारा देवघर टाउन थाना केस संख्या 530/2023 के संबंध में पारित दिनांक 07.11.2023 का आदेश, जिसके तहत और जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ सी.आर.पी.सी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी की गई थी, याचिकाकर्ता के खिलाफ रद्द और अलग रखा गया है।

8. विद्वान अवकाश न्यायाधीश, देवघर या उसके उत्तराधिकारी न्यायालय कानून के अनुसार नया आदेश पारित कर सकते हैं।

9. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका स्वीकृत हो जाती है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांकित 11 मार्च, 2024
AFR/ Animesh

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।